आवश्यक / महत्वपूर्ण

संख्या–411 / 26–2–2010–3मु0स0 / 2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2010**

विषयः **उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना का कियान्वयन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 185 / 26–2–2010–3मु0स0 / 2010, दिनांक 15 जनवरी, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीबी आर्थिक मदद योजना की विस्तृत रूपरेखा संसूचित की गयी है तथा योजना के कियान्वयन के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। दिनांक 09.03.2010 को प्रदेश स्तरीय मण्डलीय समीक्षा बैठक में इस योजना पर विचार विमर्श किया गया था तथा सर्वेक्षण आदि के संबंध में शासन से निर्देश भेजने की अपेक्षा की गयी थी ताकि सर्वेक्षण एवं योजना के कियान्वयन में एकरूपता बनी रहे।

उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना का कियान्वयन सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। अतः इस योजना का कियान्वयन समयबद्ध तरीके से पूर्ण गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में उ0प्र0मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के संबंध में सर्वेक्षण हेतु स्थूल मार्ग निर्देश **संलग्नक–1** में संलग्न कर प्रेषित हैं। योजना के कियान्वयन के संबंध में जो समय सारिणी शासन द्वारा तैयार की गयी है, वह **संलग्नक–2** में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना का नियमित अनुश्रवण प्रदेश स्तरीय मण्डलीय मासिक समीक्षा बैठक में किया जायेगा एवं इस संबंध में अनुश्रवण का प्रारूप **संलग्नक–3** पर इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया जनपद स्तर पर प्रगति इस प्रारूप में भरकर नियमानुसार मण्डलायुक्त के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त।

संख्या– 411 (1)/26–2–2010–3मु0स0/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0शासन।
3– स्टाफ आफिसर मंत्रिमण्डलीय सचिव,उ0प्र0शासन।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,उ0प्र0शासन।
5– कृषि उत्पादन आयुक्त/औद्योगिक विकास आयुक्त/समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0शासन।
6– निदेशक, समाज कल्याण/पंचायती राज/स्थानीय निकाय/राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
7– निदेशक, कोषागार,उ0प्र0।
8– समस्त कोषाधिकारी,उ0प्र0।
9– निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,उ0प्र0।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 एस0एस0सिंह)
विशेष सचिव।

"उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना" के सर्वेक्षण हेतु स्थूल मार्ग निर्देश

(1) योजना की रूपरेखा, मुख्य विशेषतायें तथा तत्सम्बन्धी निर्देश शासनादेश संख्या–शासनादेश संख्या–185/26–2–2010–03मु0स0/2010, दिनांक 15 जनवरी, 2010 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

(2) योजनान्तर्गत सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया जाना है, जिसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी बनाये गये हैं। यह सर्वेक्षण मुख्य रूप से राजस्व विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की टीमें बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामसभा वार तथा शहरी क्षेत्र में वार्डवार कराया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में ग्राम विकास विभाग के कर्मचारियों के स्थान पर स्थानीय निकायों एवं डूडा आदि के कर्मचारियों की सहायता ली जायेगी।

(3) राजस्व एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त जिलाधिकारी अपने विवेक से एवं कार्य पूर्ण कराने के उद्देश्य से जनपद में कार्यरत अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को भी सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य सौंपने हेतु अधिकृत होंगे तथा इस सम्बन्ध में यदि निर्वाचन आयोग/मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/अन्य विभागीय कोई निर्देश हों, तो उनका पालन करते हुए ही कार्य आवण्टन किया जायेगा। इसके लिए शासन से अलग से सम्बन्धित विभाग के आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित को योजना से बाहर रखने की व्यवस्था है:–

- बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय कार्ड धारक वाले परिवार
- वृद्धावस्था पेंशन पाने वाला परिवार
- विधवा पेंशन पाने वाला परिवार
- विकलांग पेशन पाने वाला परिवार

(5) उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित को भी इस योजना के अन्तर्गत पात्र न मानते हुए प्रारम्भिक सूचना/सर्वेक्षण के आधार पर बाहर रखा जायेगाः–

- ऐसे परिवार जिनके पास सीमांत कृषक से ज्यादा भूमि उपलब्ध है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर होगी एवं इससे अधिक भूमि रखने वाले कृषक अपात्र होंगे।
- ऐसे परिवार जिसके पास किसी भी प्रकार का मोटराइज्ड वाहन जैसे– जीप, कार, थ्री–व्हीलर अथवा स्कूटर/मोटर साइकिल है।
- ऐसे परिवार जिसके पास कम से कम एक मशीनीकृत कृषि उपकरण जैसे– ट्रैक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर या हार्वेस्टर हो।
- ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हो।
- ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता हो।

(6) निम्नलिखित परिवारों को योजना में स्वतः सम्मिलित माना जायेगाः–

- अधिसूचित आदिम जनजाति समूह के परिवार
- ऐसे परिवार जिसकी मुखिया एकल महिला (जो या तो विधवा/तलाकशुदा या 35 वर्ष से ऊपर की तथा अविवाहित) (प्रस्तर–4 व 5 से आच्छादित न हो)
- ऐसे परिवार, जिसमें विकलांग व्यक्ति मुखिया हो (प्रस्तर–4 व 5 से आच्छादित न हो)
- ऐसे निराश्रित परिवार जिनकी जीविका का कोई साधन न हो।
- ऐसे परिवार जो गृह/आश्रय विहीन हों तथा उसी ग्राम के निवासी हों।

(7) बचे हुए परिवारों को स्कोर के आधार पर उनका सर्वेक्षण किया जायेगाः–

1- परिवार में भूमि की उपलब्धता

(i) शून्य भूमि

(ii) 1.0 हेक्टेयर असिंचित अथवा 0.5 हेक्टेयर सिंचित भूमि से कम।

(iii) 1.0 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2.0 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि अथवा 0.5 से 1.0 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि

(iv) 2.0 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 4.0 हेक्टेयर से कम असिंचित अथवा 1.0 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि।

(v) 4.0 हेक्टेयर असिंचित अथवा 2.0 हेक्टेयर सिंचित भूमि से अधिक।

नोट– क्रमांक (IV) व (V) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों के लिए ही लागू होगा। अन्य जनपदों में क्रमांक 1 से 3 तक ही मार्किंग की आवश्यकता होगी।

2- घर का प्रकार

(i) फूस की छत का कच्चा मकान।

(ii) खपरैल का कच्चा मकान।

(iii) अर्ध पक्का एवं शासकीय योजनानतर्गत आवंटित मकान।

(iv) पक्का मकान

(v) नगरीय टाइप।

नोट– शासकीय योजनाओं का तात्पर्य इन्दिरा आवास योजना, महामाया ग्रामीण आवास योजना तथा मान्वयर कांशीरामजी शहरी गरीब आवास योजना से होगा।

3- घरेलू श्रमिकों की स्थिति

(i) बन्धुआ मजदूरी।

(ii) महिला एवं बाल श्रमिक।

(iii) मात्र वयस्क महिला श्रमिक तथा कोई बाल श्रमिक नहीं।

(iv) केवल वयस्क पुरूष एवं वयस्क महिला

(v) केवल वयस्क पुरूष।

4- जीविका का साधन

(i) दैनिक श्रमिक।

(ii) खेती।

(iii) शिल्पकार।

(iv) वेतन।

(v) अन्य जैसे–दुकान, व्यवसाय आदि।

स्कोर की गणना–

उपरोक्त 4 मदों में प्रत्येक मद के प्रथम स्थान पर अंकित बिन्दु को 5 अंक तथा सबसे नीचे स्थान पर अंकित बिन्दु को 1 अंक दिया जायेगा।

नोटः–

1– यदि परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है, तो 5 मार्क तथा विमुक्त जाति को 3 मार्क तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 1 अतिरिक्त मार्क दिया जायेगा।

2– यदि परिवार में किसी व्यक्ति को क्षय रोग, कुष्ठ रोग, विकलांगता अथवा मानसिक बीमारी या एच0आई0वी0 एड्स है तो ऐसे परिवारों को अतिरिक्त 2 प्वाइंट दिया जायेगा। इस हेतु संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(8) इस संबंध में सर्वेक्षण का प्रारूप परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(9) इस प्रकार 3 तरह की सूचियां उपलब्ध हो जायेंगी। प्रथम सूची ऐसे परिवारों की होगी जो योजना से बाहर रखे जाने हैं जिनमें इस स्थूल मार्ग निर्देश के बिन्दु संख्या 4 एवं 5 में उल्लिखित परिवार होंगे। द्वितीय सूची वह होगी जिसमें ऐसे परिवारों के नाम होंगे, जिन्हें योजना में स्वतः सम्मिलित माना जायेगा। तृतीय सूची उन परिवारों की होगी जिनका सर्वेक्षण स्कोर के आधार पर किया गया है।

(10) तीनों सूचियों का प्रकाशन ग्रामसभा/स्थानीय निकाय स्तर पर तथा उस पर विचार ग्राम सभा/वार्ड की खुली बैठकों में किया जायेगा।

सर्वे का प्रारूप

परिशिष्ट–1

जनपद . . . . . विकास खण्ड . . . . . ग्राम/नगर. . . . जनगणना 2001 का कोड . . . . .

1- परिवार के मुखिया का नाम तथा उसके पिता का नाम . . . . . .

2- मुखिया का पता . . . .

3- महिला मुखिया/अभ्यर्थी का नाम . . . . . .

4- महिला मुखिया के पति/पिता का नाम . . . . . .

5- वर्ग (अनु0जा0/जनजाति/विमुक्ति जाति/पिछड़ावर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य) . . . . .

6- परिवार के सदस्यों की संख्या . . . . . .

7- अभ्यर्थी का वोटर कार्ड संख्या . . . . . .

8- क्या परिवार निम्न में से किसी से आच्छादित हैः–
वृद्धावस्था पेंशन ☐ विधवा पेंशन ☐ विकलांग पेंशन ☐
बी0पी0एल0 कार्ड धारक ☐ अन्त्योदय कार्ड घारक ☐

9- क्या परिवार के पास सीमान्त कृषक (बुन्देलखण्ड जनपदों में 4 हेक्टेयर) से ज्यादा भूमि उपलब्ध है। हॉ ☐ नहीं ☐

10- क्या परिवार में मोटराइज्ड वाहन है
जीप ☐ कार ☐ थ्री व्हीलर ☐ स्कूटर ☐ मोटरसाइकिल ☐

11- क्या निम्न मशीनीकृत कृषि उपकरण परिवार में हैं
ट्रैक्टर ☐ पावर ट्रिलर ☐ थ्रेसर ☐ हार्वेस्टर ☐

12- क्या परिवार का कोई सदस्य नियमित वेतन भोगी कर्मचारी है
सरकारी ☐ अर्द्धसरकारी ☐ एन0जी0ओ0 ☐ निजी संगठन ☐

13- क्या परिवार निम्नलिखित से आच्छादित है
–अधिसूचित आदिम जनजाति समूह के परिवार ☐
–ऐसे परिवार जिनकी मुखिया एकल महिला(जो या तो विधवा/तलाकशुदा या 35वर्ष से ऊपर की तथा अविवाहित) हो ☐
–ऐसे परिवार जिसमें विकलांग व्यक्ति मुखिया हो ☐
–ऐसे निराश्रित परिवार जिनकी जीविका का कोई साधन न हो ☐
–ऐसे परिवार जो गृह/आश्रय विहीन हों तथा उसी ग्राम के निवासी हों ☐

14- परिवार में भूमि की उपलब्धता

(i) शून्य भूमि ☐

(ii) 1.0 हेक्टेयर असिंचित अथवा 0.5 हेक्टेयर सिंचित भूमि से कम। ☐

(iii) 1.0 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2.0 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि अथवा 0.5 से 1.0 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि ☐

(iv)2.0 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 4.0 हेक्टेयर से कम असिंचित अथवा 1.0 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि। ☐

(v)4.0 हेक्टेयर असिंचित अथवा 2.0 हेक्टेयर सिंचित भूमि से अधिक। ☐

नोट– कमांक (IV) व (V) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों के लिए ही लागू होगा। अन्य जनपदों में कमांक 1 से 3 तक ही मार्किंग की आवश्यकता होगी।

15- घर का प्रकार
–फूस की छत का कच्चा मकान ☐ –खपरैल का कच्चा मकान ☐
–अर्धपक्का एवं शासकीय योजनान्तर्गत आवंटित मकान ☐
–पक्का मकान ☐ नगरीय टाइप ☐

16- श्रमिक स्थिति
– बन्धुआ मजदूरी ☐ महिला एवं बाल श्रमिक ☐
–मात्र वयस्त महिला श्रमिक तथा कोई बाल श्रमिक नहीं ☐
–केवल वयस्क पुरूष एवं वयस्क महिला ☐ केवल वयस्क पुरूष ☐

17- जीविका का साधन
दैनिक श्रमिक ☐ खेती ☐ शिल्पकार ☐ वेतन ☐
अन्य (जैसे दुकान/व्यवसाय आदि) ☐

18- क्या परिवार में क्षय रोग, कुष्ठ रोग, विकलांगता अथवा मानसिक बीमारी या एच0आई0वी0,एड्स है तो ✓ किया जाय (इस हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी/सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र मान्य होगा) ☐

सर्वेक्षण तथा लाभार्थियों के चयन की समय–सारिणी

अवधि	संपादन हेतु प्रस्तावित कार्य
01 अप्रैल 2010 से 15 मई 2010 तक	शत प्रतिशत ग्रामसभावार एवं शहरी क्षेत्रों में वार्डवार शासकीय एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराना।
16 मई 2010 से 31 मई 2010 तक	ग्रामवार/वार्डवार चिन्हांकित सूचियां तैयार करना।
01 जून 2010 से 30 जून 2010 तक	चिन्हांकित व्यक्तियों की सूचियों को ग्राम सभा/स्थानीय निकाय स्तर पर प्रकाशन तथा आपत्तियों का आमंत्रण।
01 जुलाई 2010 से 31 अगस्त 2010 तक	ग्रामसभा/वार्डवार खुली बैठकों का आयोजन तथा अंतिम रूप से लाभार्थी चयन।
01 सितम्बर 2010 से 30 सितम्बर 2010 तक	लाभार्थी सूचियों का जिलाधिकारी स्तर पर अंतिमीकरण कम्प्यूटराइजेशन तथा खाते खुलवाना आदि।

संलग्नक–3

उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अनुश्रवण का प्रारूप

क्र0 सं0	जनपद का नाम	ग्राम पंचायतो/ वार्डो की कुल संख्या			माह में सर्वेक्षित ग्राम सभाओं/ वार्डो की संख्या			सर्वेक्षित ग्राम सभाओं/ वार्डो की प्रगामी संख्या			ग्राम सभाओं/ वार्डो की संख्या जिनमें माह में चिन्हांकन कार्य पूर्ण किया गया			ग्राम सभाओं/ वार्डो की प्रगामी संख्या जिनमें चिन्हांकन कार्य पूर्ण हो गया है			सूची का प्रकाशन		
		ग्राम पंचायतें	वार्ड	योग	ग्रामसभा	वार्ड	योग	ग्रामसभा	वार्ड	योग	ग्रामसभा	वार्ड	योग	ग्रामसभा	वार्ड	योग	ग्रामसभा	वार्ड	योग
1	2	3			4			5			6			7			8		
		क	ख	क+ख	क	ख	क+ख	क	ख	क+ख	क	ख	क+ख	क	ख	क+ख	क	ख	क+ख

चिन्हांकित परिवारों की संख्या															खुली बैठकों का आयोजन तथा लाभार्थी चयन		
ग्राम सभा					वार्ड										ग्राम सभा	वार्ड	योग
कुल	अनु0जा0	ज0जाति	पि0 वर्ग	अल्पसंख्यक	कुल	अनु0जा0	जन0	पि0 वर्ग	अल्पसंख्यक	कुल	अनु0जा0	ज0जाति	पि0 वर्ग	अल्पसंख्यक	10		
9															क	ख	क+ख

आपत्तियों के निराकरण की स्थिति			प्रतिशत (कालम 10 का 3 से)			जिलाधिकारी द्वारा अन्तिम किये गये लाभार्थियों की संख्या														
प्राप्त	निस्तारित	शेष	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्राम सभा					वार्ड					कुल				
11			12			कुल	अनु0जा0	ज0जाति	पि0 वर्ग	अल्पसंख्यक	कुल	अनु0जा0	ज0जाति	पि0 वर्ग	अल्पसंख्यक	कुल	ज0जाति	ज0जाति	पि0 वर्ग	अल्पसंख्यक
क	ख	क–ख	क	ख	क+ख	13														